(159) (160)

न्यायालय / माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर, मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा, म०प्र०

निगरानीप्रकरण क्र०/ R.5005-PBR/16 /016

Rs. 20/-

अरुण कुमार सिंह तनय रामराज सिंह पेशा-नौकरी (बी.एस.एफ.) निवासी ग्राम कलरगवां, तहसील हनुमना जिला रीवा, (म०प्र०)

-------- आवेदक

विरुद्ध

कृष्ण प्रताप सिंह तनयरामगोपाल सिंह निवासी ग्राम कलरगवां, तहसील हनुमना जिला रीवा, म०प्र०.

------- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत्त पहाड़ी, तहसील हनुमना, जिला रीवा, दिनांक 24.08.015 जो प्रकरण क्र०- 10-ए-3/14-15 में पारित किया गया ।

श्री... दानबेन्दु मिश्रा ... द्वारा आज दिनांक ... 5-01-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959ई० ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

(01) यह कि ग्राम लोढागा, तहसील हनुमना जिलारीवा स्थित भूमि ख०नं० 216/2 रकबा 0.607है०, जो आवेदक के हक हिस्से की भूमि है, जिसका भी नक्शा तरमीम करने का प्रश्नाधीन आदेश देने मे अधीनस्थ न्यायालय ने एक गंभीर कानूनी भूल की है ।

(02) यह कि उक्त भूमि के स्वत्व घोषणा एवं बंटवारेका व्यवहार वादआवेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.5005–II/16 जिला–रीवा

अरूण कुमार सिंह/कृष्ण प्रताप सिंह

(1)	(2)	(3)
17.05.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	